फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामसिंह बनाम छुट्टन वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 मु0नं0–24/2024

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि विवादित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की सहखातेदारी की भूमि है जिसके संबध में प्रार्थी द्वारा तकास्मा करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति को परिवर्तित करना चाहते है तथा भूमि का बेचान करने पर आमादा हो रहे है इसलिए जब तक विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थी की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री शिवचरण शर्मा द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार इसलिए संपूर्ण रकबे पर स्थगन नहीं हो सकता है। तथा प्राईमा फैसी एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत बंटवारा अभी तक नहीं किया गया। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किए जाने की स्थिति में मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होने की संभावना है इसलिए प्राईमा फैसी सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.03.2024 को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाना न्यायोचित है। अतः पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	